CSIR-CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS
(COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)
RESEARCH CENTRE, PANTNAGAR
PO: DAIRY FARM, NAGLA-263 149
DISTRICT – UDHAM SINGH NAGAR, UTTARAKHAND, INDIA

CSIR-CIMAP

संख्याः सी0आर0सी0/पन्त/सा0–3(i)/2021/325-327 दिनांकः 26/09/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

संदर्भः पत्रांक 1210/12–1 हल्द्वानी, दिनांक 02/09/2021।

विषयः **Proposal for renewal of division of 115.79 hectare of land under forest (Conservation) Act, 1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Lucknow field station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttarakhand.**

प्रिय महोदय,

आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्रांक के अनुपालन में आप द्वारा मांगी गई वांक्षित सुचना कम संख्या 1 से 06 का कमवार जवाब निम्नवत हैः

1. Details of compensatory land made available in lieu of approval granted in the past needs to be provided by the state Government along with KML/Shape files and status of its notification under the IFA,1927 as applicable, afforestation, etc needs to be intimated by the state Govt.
– इस बिन्दु पर अपनी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व मे राज्य सरकार द्वारा कोई भी भूमि आवंटित नही की गयी है शासनादेश संख्या– जी0आई0–485/7–1–2002–800/2000 दिनांक 15.06.2002 संलगन है। (बिन्दू संख्या 11 का अवलोकन करें)(संलग्नक–1)।

2. Details of NPV, if any realized from the user agency, in the past need to be intimated by the state Govt. along with prescribed Performa for confirmation of the CA levied – इस बिन्दु के क्रम में अपनी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।

शासनादेश संख्या– जी0आई0–485/7–1–2002–800/2000 दिनांक 15.06.2002 के बिन्दू संख्या 14 का अवलोकन करें (संलग्नक–1) जिसमें वन भुमि का मूल्य नही लिया गया है।

3. Comments of the CWLW on the observation of the DFO regarding location of the area in The Shivalik Elephant Reserve. – इस बिन्दु पर प्रभाग स्तर से आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार कर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

आपके पत्रांक संख्या 1210/12–1 दिनांक 02.09.2021 के अनुसार उपप्रभागीय वनाधिकारी, गौला एवं वन क्षेत्राधिकारी, गौला द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

4. Status of compliance of conditions stipulated in the approval dated 15.06.2002 may be intimated by the State Govt. – उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–जी0आई– 485/7–1–2002–800/2000 दि0 15.06.2002 का बिन्दुवार भलि–भांति अवलोकन कर लिया जाय तथा बिन्दुवार स्पष्ट आख्या तदोनुसार प्रेषित किया जाये।

26/09/2021

–1–

Mail:crcpant@cimap.res.in: Ph:05944-234445/9756601234, 235190,Tel.Fax: 234712

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– जी0आई0–485 / 7–1–2002–800 / 2000 दिनांक 15.06.2002 के सापेक्ष विन्दुवार आख्या संलग्न है (संलग्नक–2) उपरोक्त आख्या कार्यालय पत्राचार संख्या सी0आर0सी0 / पन्त / सा0–3(i) 213–215 दिनांकित 06.08.2021 के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को प्रेषित की जा चुकी है।

5. Extant proposal is a non-site specific which can be taken up over non-forest land. The state Government also requested to submit its comments on whether alternative option have been explored to shift the facility to non-forest land. – इस बिन्दु के अनुपालन मे अपनी विस्तृत आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि तदोनुसार आख्सा उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

सीमैप अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर को लीज पर दी गयी वन भुमि 115.79 हे0 का प्रयोग औषधीय एवं सगंध पौधों पर शोध, विकास प्रसार हेतु किया जा रहा है। केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान द्वारा तैयार औषधीय एवं सगंध पौधों को उत्तराखण्ड एवं देश के विभिन्न राज्यों में औषधीय एवं सगंध पौध्रें की खेती को बढ़ावा देने के लिए भेजा जाता है। सीमैप अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर को लीज पर दी गयी वन भुमि (115.79) हे0 औषधीय एवं सगंध पौधों पर शोध, विकास प्रसार में एक अहम भूमिका निभा रही है एवं इसकी महत्वता को देखते हुए देशहित में उक्त वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा दीये गये प्रस्ताव में उक्त भूमि का उपयोग एवं सम्बंधित विवरण दिया गया है।

6. The State Govt. also to submit the deails that in actually how much area is still used for non-forestry purpouses. . – इस बिन्दु पर भी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।

सीमैप अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर को लीज पर दी गयी वन भुमि (115.79) हे0 का प्रयोग औषधीय एवं सगंध पौधों पर शोध, विकास प्रसार में एक अहम भूमिका निभा रही है इसकी महत्वता को देखते हुए पुनः 115.79 हे0 वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है।

भवदीय,

(राजेन्द्र चन्द्र पडलिया)
प्रभारी वैज्ञानिक

प्रतिलिपिः

1 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के सुचनार्थ प्रेषित।
2 वन संरक्षक, पश्चिमी वृत, उत्तराखण्ड,हल्द्वानी के सुचनार्थ प्रेषित।
3 कार्यालय प्रति।

(राजेन्द्र चन्द्र पडलिया)
प्रभारी वैज्ञानिक

Mail:crcpant@cimap.res.in: Ph:05944-234445/9756601234, 235190,Tel.Fax: 234712

संलग्नक-1

(5)

संख्या-जी0आई0- 485 /7-1-2002-830/2000

प्रेषक-

श्री राजेन्द्र कुमार
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल,देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग

देहरादून दिनांक जून 15, 2002

विषय- जनपद-उधमसिंह नगर में केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के फील्ड स्टेशन, पंत नगर को पूर्व में दी गई 115.79 है0 आरक्षित वन भूमि की लीज का कालातीत होने की तिथि से आगामी 20 वर्षो के लिए नवीनीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-2816 /1-जी-609 (उधम0) दिनांक 15-6-2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-उधमसिंह नगर में केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के फील्ड स्टेशन, पंत नगर को पूर्व में दी गई 115.79 है0 आरक्षित वन भूमि की लीज का कालातीत होने की तिथि से आगामी 20 वर्षो के लिये नवीनीकरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-8-41/2002-एफ सी दिनांक 21-7-2000 में दी गई स्वीकृति तथा मा0 मंत्रि परिषद के आदेश दिनांक 3-6-2002 के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते है-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रस्तावक विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रस्तावक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचायी जाती है अथवा कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा, प्रस्तावक विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रस्तावक विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रस्तावक विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. परियोजना क्षेत्र में अनुसंधान प्रयोजन हेतु लगाये गये पेड़ों का पातन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात एक निर्धारित योजना के तहत ही किया जा सकेगा।
6. प्रस्तावक विभाग द्वारा लीज पर दी गयी वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा तथा वन भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य यथा- भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्य नहीं किये जायेंगे।
7. लीज पर दी गई वन भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
8. परियोजना के अधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों द्वारा वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाय।
9. वन विभाग तथा उसके अधिकारीओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

10. परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुंचाये इसके लिए प्रस्तावक विभाग ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन सामग्री उपलब्ध करायेगा ।
11. प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लघंन के फलस्वरूप 0.86 एकड़ वन भूमि में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
12. वन भूमि पर खड़े वृक्षो, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
13. प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तद्परान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा ।
14. मा0 मंत्रि परिषद् के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/10/2002–सी0एक्स0 दिनांक 3–6–2002 द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावक विभाग से वन भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा व पूर्व की भाँति 1 रूपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से लीज रेंट लिया जायेगा।
15. प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयरिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या 198/7–जी–सी–89–3–89, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक–'0070'–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गई सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
16. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ तथा राज्य सरकार द्वारा वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये समय–समय पर लगाये जाने वाली शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

संख्या– 485 /7–1–2002–800/2000 दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, बी–1/72 सैक्टर (के), अलीगंज, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल प्रकोष्ठ, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
5. निजी सचिव, मा0 वन मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
6. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
8. श्री सुमनप्रीत सिंह खनूजा, निदेशक, केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, कुकरैल पिकनिक स्पॉट रोड पी0ओ0–सिमैप, लखनऊ–226015

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

संलग्नक-2

संलग्नक–1

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– जी0आई0–485/7–1–2002–800/2000 दिनांक 15.06.2002 द्वारा पूर्व में दी गयी सशर्त स्वीकृत अनुपालन आख्या निम्नवत है:–

1. वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

   भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नही हुआ है और ना ही होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी। प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जा रहा है अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नही।

2. प्रस्तावक विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित नही करेगा।

   प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्वावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही किया है/ना ही करेगा।

3. प्रस्तावक विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नही पहुंचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोइ क्षति पहुचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, तो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा, प्रस्तावक विभाग द्वारा देय होगा।

   प्रस्तावक विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी गयी है और ना ही पहुँचायेंगें। ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भूगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके प्रस्तावक विभाग सहमत है।

4. उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक किसी प्रस्तावक विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रस्तावक विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की अवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।

– 1

6/8/2021

प्रस्तावक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।

5. परियोजना क्षेत्र में अनुसंधान प्रयोजन हेतु उगाये गये पेड़ों का पातन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात एक निर्धारित योजना के तहत ही किया जा सकेगा।

वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड, वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

6. प्रस्तावक विभाग द्वारा लीज पर दी गयी वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा तथा वन भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य यथा–भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्य नही किये जायेंगे।

प्रस्तावक विभाग द्वारा लीज पर दी गयी वन भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य यथा–भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्य नही किये जायेंगे।

7. लीज पर दी गयी वन भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।

वन भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्षों का पातन नही किया गया है/ना ही किया जायेगा।

8. परियोजना के अधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों द्वारा वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रण न किया जाय।

लीज पर दी गयी वन भूमि पर परियोजना मे कार्यरत मजदूरों द्वारा वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रण नही किया गया है।

9. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

हस्तान्तरन वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही है।

6/8/2024

10. परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुचाये इसके लिए प्रस्तावक विभाग ईधन लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईधन सामग्री उपलब्ध करायेगा।

इस सम्बन्ध में प्रस्ताव में प्रपत्र–32 में इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को केरोसीन/रसोई गैस आपूर्ति का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है (प्रस्ताव पृष्ट संख्या–40)।

11. प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लघंन के फलस्वरू 0.86 एकड़ वन भूमि में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्राकं संख्या 4079/12–1 दिनांकित हल्द्वानी 0806.2011 द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार ड्राफ्ट संख्या 593449 दिनांक 24.06.2011 धनराशि रू0 17601/– को इस कार्यालय के पत्रांक संख्या सीआरसी/पन्त/सा–3(1)/242–43 दिनांक 24.06.2011 को अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि संरक्षण र्निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी नैनीताल के सूचनार्थ एवं अवश्यकीय कार्यवाही हेतु स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जा चुका है (छाया प्रति संलग्न–)।

12. वन भूमि पर खडे वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।

वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

13. प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तद्परान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नही पहुंचाया जायेगा।

प्रस्तावक विभाग द्वारा स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नही पहुंचाया जायेगा।

14. मा0 मंत्रि परिषद् के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/10/2002–सी0एक्स0 दिनांक 3.6.2002 द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावक विभाग से वन भूमि का मूल्य नही

- 3

Rkadalia 6/8/2014

लिया जायेगा व पूर्व की भाँति 1 रूपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से लीज रेंट लिया जायेगा।

मा0 मंत्रि परिषद् के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/10/2002–सी0एक्स0 दिनांक 3.6.2002 द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावक विभाग को वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया गया है। प्रस्तावक विभाग भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अर्न्तगत कार्य करने वाली एक राष्ट्रीय संस्थान है जो भारत मे औषधीय एवं सगंध पौधों पर शोध एवं प्रसार का कार्य कर रही है अतः भविष्य मे भी यथावक प्रस्तावक विभाग से पूर्व की भाँति वन भूमि का मूल्य ना लिया जाय। लीज रेंट विभाग द्वारा भुगतान के लिए देय होगा।

15. प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्याः 198/7–जी–सी–89–3–89, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गई सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

पूर्व मे किये गये पट्टा विलेख के अतिरिक्त कोई अन्य पट्टा विलेख वन विभाग/प्रस्तावक विभाग के द्वारा नही किया गया है (पट्टा विलेख की छाया प्रति संलग्न–)।

16. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ तथा राज्य सरकार द्वारा वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समय–समय पर लगाये जाने वाली शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त आख्या सें सम्बंधित मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–29) ऑनलाईन प्रस्ताव एवं प्रस्तुत किये गये मूल प्रस्ताव मे भी सम्मलित है (पृष्ट संख्या–35)।

Padalia 6/8/2021

(राजेन्द्र चन्द्र पडलिया)
प्रभारी वैज्ञानिक

-4

06/08/2021

CSIR-CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS
(COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)
RESEARCH CENTRE, PANTNAGAR
PO: DAIRY FARM, NAGLA-263 149
DISTRICT – UDHAM SINGH NAGAR, UTTARAKHAND, INDIA

CSIR-CIMAP

संख्या सीआरसी/पन्त/सा0–3(1)/213 दिनांक 06/08/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

संदर्भ : पत्राँक संख्या–510/12–1 हल्द्वानी, दिनाँकित 3/8/2021

विषय : Proposal for renewal of diversion of 115.79 hectare of forest land under forest (Conservation) Act 1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Lucknow, Field station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttarakhand

महोदय,

आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्राँक के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-जी0आई0–485/7–1–2002–800/2000 दिनाकित 15.06.2002 चाही गयी बाँछित सूचना आपवं सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राजेन्द्र चन्द्र पडलिया)
प्रभारी वैज्ञानिक

प्रतिलिपिः

1. प्रशासन नियंत्रक, सीमैप लखनऊ के सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. सचिव, निदेशक महोदय, सीमैप लखनऊ के सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. कार्यालय प्रति।

Received
C/8/21

रिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी

Mail:crcpant@cimap.res.in: Ph:05944-234445/9756601234, 235190,Tel.Fax: 234712

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

वीरभवान वन परिसर, पैंत रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail: dfoto@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-258258

पत्रांक 1210 / 12–1 हल्द्वानी, दिनांक 2/9/, 2021

सेवा में,

प्रभारी केन्द्रीय औषधीय एवं
सगन्ध पौध संस्थान,
पन्तनगर, नगला
जनपद–ऊधमसिंह नगर।

विषय:– Proposal for renewal of diversion of 115.79 hectare of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Luknow fields station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttarakhand.

संदर्भ:– भारत सरकार का पत्रांक–8–41/2000–FC (Vol) date: 19 july 2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–510/12–1 दि0–03.08.2021 एवं आपका पत्रांक–सीआरसी/पंत/सा0–3(1)/2013 दि0–06.08.2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसाकि भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है, आपके स्तर से जिन बिन्दुओं पर सूचना दी जानी है उनका विवरण निम्न प्रकार है:–

1. Details of compensatory land made available in lieu of approval granted in the past needs to be provided by the State Government along with KML/Shape files and status of its notification under the IFA, 1927 as applicable, afforestation, etc. needs to be intimated by the State Govt. **–इस बिन्दु पर अपनी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।**

2. Details of NPV, if any realized from the user agency, in the past needs to be intimated by the State Govt. along with prescribed Performa for confirmation of the CA levied. **–इस बिन्दु के क्रम में अपनी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।**

3. Comments of the CWLW on the observation of the DFO regarding location of the area in The Shivalik Elephant Reserve. **–इस बिन्दु पर प्रभाग स्तर से आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार कर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया जा रहा है।**

4. Status of compliance of conditions stipulated in the approval dated 15.06.2002 may be intimated by the State Govt. **–उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–जी0आई0–485/7–1–2002 –800/2000 दि0 15.06.2006 का बिन्दुवार भलि–भांति अवलोकन कर लिया जाय तथा बिन्दुवार स्पष्ट आख्या तदोनुसार प्रेषित किया जाये।**

5. Extant proposal is a non-site specific which can be taken up over non-forest land. The State Government also requested to submit its comments on whether alternative options have been explored to shift the facility to non-forest land. **–इस बिन्दु के अनुपालन में अपनी विस्तृत आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि तदोनुसार आख्या उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।**

24/9/2021

Sh. K. LAL

6. The State Govt. also to submit the details that in actually how much area is still used for non-forestry purposes. **–इस बिन्दु पर भी अपनी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।**

भवदीय

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

पत्रांकः– 1210/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

पत्रांकः– 1210/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– उपप्रभागीय वनाधिकारी, गौला एवं वन क्षेत्राधिकारी, गौला को भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित बिन्दु संख्या–3 के अनुपालन में शिवालिक हाथी रिजर्व के सम्बन्ध में वांछित प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदोनुसार आख्या मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की जा सके।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

पत्र आपके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी 26/09/2021

26/9/21